मोहीलाल बनाम नाथू

10/2025

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	31/5/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वस्तुतः अदालत प्रार्थी व उनके अधिवक्ता की बार बार तलब करने पर एक उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। ना ही प्रार्थी द्वारा न्यायालय आदेश दिनांक 19/1/2023 की पालना में जप्त रसीद जारी होने के बाद पेश की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र CPC में खारिज किया जाता है। पत्रावली मौसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर हो। उपरांत समयोत्तर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक अधिकारी
जयपुर जिला (सांगानेर)